[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना
सं. 1/2015–केन्द्रीय उत्पादशुल्क (गै.टे.)

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी, 2015
30 पौष, शक (1936)

सा.का.नि. (अ)-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क बोर्ड एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 27/2014-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टै.), दिनांक 16 सितंबर, 2014 में, जिसे सा.का.नि.651(अ), दिनांक 16 सितंबर, 2014 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, निम्नलिखित संशोधन और करता है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, -

(i) सारणी II (ख) में, -

(क) विशाखापत्तनम से संबंधित क्र.सं.16 के समक्ष, कॉलम (3) में, "विजयवाड़ा" शब्द को "विशाखापत्तनम" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) सारणी III (क) में, -

(क) बंगलोर– I से संबंधित क्र.सं.3 के समक्ष, कॉलम (3) में, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा :-

"वार्ड: बीबीएमपी नए वार्ड सं. 57, 58, 79, 80 से 89, 112 से 116, 117 [रिचमोण्ड रोड-ब्रिगेडरोड जंक्शन से शुरू होकर होसुर रोड के बाएं (पूर्व) के सभी क्षेत्र], 147 से 151, 173 और 174 के सभी क्षेत्र। 189 (आंशिक), 190 (आंशिक), 191 (आंशिक) और 192 (आंशिक) के वार्डों में बंगलुरू-होसुर रोड के बाएं (पूर्व) के वार्डों का क्षेत्र।

बीबीएमपी क्षेत्रों से परे : अनेकल तालुका का जिगानी होब्ली और एट्टीबेले होब्ली का क्षेत्र [पश्चिम में कोप्पा गेट पर बानेर घाटा-अनेकल रोड के साथ मिलते हुए वीरसंद्रा मुख्य रोड- भवानी रोड- गोल्लाहल्ली मुख्य रोड- थिरुपल्या रोड- निओटाउन रोड- कोप्पा बेगुर रोड पर चलते हुए पूर्व में हुस्कर रोड- होसुर रोड जंक्शन से शुरू होकर रोड जिसमें मारागोंडानाहल्ली, हुल्लीमंगला, एस बिंगीपुरा, हुल्लाहल्ली, कोप्पा (आंशिक), नाल्लासांद्रा, जिगानी(आंशिक), बेगीहल्ली (आंशिक), मंतापा (आंशिक), साकलवाड़ा, लक्ष्मीपुरा, कालकेरे, बान्नेरघट्टा, बीराप्पानाहल्ली, हालेसंपिगे हल्ली, रामासंद्रा, अमारी बीदरकेरे, भुजंगादासना आमनीकेरे, हुल्लूकासावानाहल्ली, जागलापल्लया, वादेराहल्ली, भूथानाहल्ली, बन्नेरघट्टा कावल, बिलवाड़ाहल्ली, कोन्नाईकाना अग्रहारा, अनेकल तालुका की जिगानी होब्ली और गोल्लाहल्ली, हेब्बूगोड़ी (आंशिक) और अनेकल तालुका के एट्टीबेले होब्ली के वीरसांद्रा गांव के क्षेत्र भी शामिल हैं] के दाएं (उत्तर) दिशा के क्षेत्रों को छोड़कर बंगलुरू- होसुर रोड के बाएं (पूर्व) दिशा की ओर बंगलोर दक्षिण तालुका का

बेगूर होब्ली क्षेत्र। कर्नाटक राज्य में बंगलुरू पूर्व तालुका का वर्थुर होब्ली, अनेकल तालुका का सर्जापुर होब्ली क्षेत्र।"

(ख) चेन्नै-I से संबंधित क्र.सं.5 के समक्ष, कॉलम (3) में, "और पूनामाली तालुक" शब्दों को "पूनामाली और तिरूवोत्रीयुर तालुक (जो कहीं और शामिल नहीं हैं)" शब्दों और कोष्ठकों से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) चेन्नै-IV से संबंधित क्र.सं.6 के समक्ष, कॉलम (3) में, संख्या "XV" के बाद, "(पल्लावरम, सेंट थॉमस कैंटोमेंट बोर्ड)" शब्दों और कोष्ठकों को प्रविष्ट किया जाएगा;

(iii) सारणी III (ख) में, -

(क) बंगलोर– II से संबंधित क्र.सं.7 के समक्ष, कॉलम (3) में, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा :-

"वार्ड : बीबीएमपी नए वार्ड सं. 9, 10 [आंशिक – समूचे बीईएल औद्योगिक क्षेत्र को शामिल करते हुए हेबल की ओर बाहरी रिंग रोड के दाएं (दक्षिण) दिशा के क्षेत्रों को छोड़कर], 11 से 16, 38 [आंशिक – बाहरी रिंग रोड जंक्शन तक बंगलुरू- तुककुर रोड (एनएच-4) के दाएं (पूर्व) दिशा के क्षेत्र को छोड़कर], 39 से 42, 43, 44, 67, 68, 69, 70 और 71 के क्षेत्र।

बीबीएमपी क्षेत्रों से परे बंगलुरू उत्तरी तालुका में यशवंतपुर होब्ली के लक्ष्मीपुरा सोमासेट्टीहल्ली, गनीगाराहल्ली, चिकबनावारा, गुडाहल्ली (ओजी) और थिरुमालापुरा के गांव। बंगलुरू उत्तरी तालुका का हेसरघट्टा होब्ली क्षेत्र, दासनापुरा होब्ली क्षेत्र [काछोहल्ली, मच्छोहल्ली, बायलाकोनेनहल्ली, ब्याण्डाहल्ली, कडाबेगरे, गिदेनहल्ली, माल्लासंद्रा, गट्टीसिदनहल्ली (बी), कित्तनहल्ली, दासनापुरा होब्ली का नागासांद्रा], टुम्कुर रोड पर एनएच4 और एनएच48 के नीलामंगला जंक्शन तक बंगलुरू-टुंकुर रोड (एनएच4) की दोनो ओर नीलामंगला तालुका का क्षेत्र [नीलमंगला तालुका के कसाबाहोब्ली के कनुवनाहल्ली, गोरावनाहल्ली, होसाहल्ली, अवलाकुप्पे, सोलदवनाहल्ली गांव को छोड़कर] तुंकुर जिला सीमा तक बंगलुरू ग्रामीण जिले के नीलमंगला तालुका के टुंकुर रोड पर एनएच4 (एनएच48) के नीलमंगला जंक्शन और स्टेट हाइवे रोड संख्या 74 से बंगलुरू टुंकुर रोड (एनएच4) के दाईं ओर के क्षेत्र। टुम्कुर जिले के पुन्नीगल, टुम्कुर, गुब्बी, टिपटूर, तुरुवेकरे और चिक्कानायकनहल्ली तालुकाओं के क्षेत्र। शिरा तालुका के बाएं (दक्षिण) ओर का एनएच4 (बंगलोर-पुणे रोड) का क्षेत्र जिसमें सिरा तालुका के कालमबेला होब्ली के सीबी अग्रहारा, जोडीदेवरहल्ली, कप्पनहल्ली, ब्रह्मसंद्र, काल्लेनहल्ली, वड्डेनहल्ली गांव का क्षेत्र शामिल है।"

(ख) बंगलोर– III से संबंधित क्र.सं.8 के समक्ष, कॉलम (3) में, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा :-

"वार्ड : बीबीएमपी नई वार्ड संख्या 10 [आंशिक–समूचे बीईएल औद्योगिक क्षेत्र को शामिल करते हुए बेहल की तरफ बाहरी रिंग रोड के दाएं (दक्षिण) ओर का क्षेत्र], 17, 35, 36, 37, 38 [आंशिक– बाहरी रिंग रोड जंक्शन तक बंगलुरू तुम्कुर रोड (एनएच4) के दाएं (पूर्व) का क्षेत्र], 45, 64 से 65, 66, 72 से 76, 77 से 78, 90 से 108, 109, 110 से 111, 117 [रिचमोंड रोड-ब्रिगेड रोड जंक्शन से शुरू होकर होसुर रोड के दाईं (पश्चिम) की ओर के क्षेत्र], 118, 119, 120 से 122, 123 से 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 152, 153 से 156, 157 से 172, 175 से 188 का क्षेत्र 189 (आंशिक), 190 (आंशिक), 191 (आंशिक), 192 (आंशिक), 193 से 198 के वार्डों में बंगलुरू-होसुर रोड के दाएं (पश्चिम) ओर के वार्ड के क्षेत्र।

बीबीएमपी क्षेत्रों से परे : तुम्कुर जिला सीमा तक बंगलुरू ग्रामीण जिला के एनएच4 के नीलमंगला जंक्शन और नीलमंगला तालुका के एनएच 48 से बंगलुरू-तुम्कुर रोड (एनएच 4) के बाईं ओर के क्षेत्र इसके अलावा नीलमंगला जंक्शन से मंगलौर की ओर जाते हुए एनएच48 के दाईं ओर के सभी क्षेत्र बंगलुरू ग्रामीण जिले के मगाडी तालुका के सभी क्षेत्र बंगलुरू उत्तरी तालुका के काछोहल्ली, मच्छोहल्ली, बायलाकोनेनहल्ली, ब्याण्डाहल्ली, कडाबेगरे, सिद्देनहल्ली, माल्लासंद्रा, गट्टीसिदनहल्ली (बी), कित्तनहल्ली, दासनापुरा होब्ली का नागासांद्रा गांव के क्षेत्र। नीलमंगला तालुका के कसाबाहोब्ली के कनुवनाहल्ली, गोरावनाहल्ली, होसाहल्ली, अवलाकुप्पे, सोलदवनाहल्ली गांव के क्षेत्र। बंगलुरू उत्तरी तालुका की यशवंतपुर होब्ली के सिगेहल्ली, कोडिगेहल्ली, कोडेगेहल्ली (ओजी), कन्नाहल्ली, मनगानाहल्ली, और कंचनपुरा गांव, कनगेरीहोब्ली, तावेरेकेरेहोब्ली, उत्तरहल्ली होब्ली और कनकपुरा तालुका। रामनगर जिले के रामनगर तालुका और चेनपटना तालुका के क्षेत्र। पश्चिम में कोप्पगेट पर बानरघट्टा-अनेकल रोड पर मिलते हुए वीरसांद्रा मेन रोड-भवानी रोड- गोलाहल्ली मेन रोड-थिरुपाल्या रोड-निओटाउन रोड- कोप्पबेगुर रोड पर चलते हुए पूर्व में हस्कर रोड- होसुर रोड जंक्शन से शुरू होने वाली रोड के दाएं (उत्तरी) ओर के सभी क्षेत्र जिसमें मारागोंडनहल्ली, हुलीमंगला, एसबिंगीपुरा, हुल्लाहल्ली, कोप्पा (आंशिक) के गांव का क्षेत्र शामिल है। अनेकल तालुका की जिगानी होब्ली का नालासांद्रा, जिगानी (आंशिक), बेगीहल्ली (आंशिक), मानतापा (आंशिक), साकलवाड़ा, लक्ष्मीपुरा, कालकेरे, मानेरगट्टा, बायरप्पानाहल्ली, हालेसम्पिगेहल्ली, रामसंद्रा, अमानी बिदरेकेरे, भुजंगादासना, अमनीकेरे, हुल्लूकासवानाहल्ली, जगालापाल्या, वादेरहल्ली, भूथनहल्ली, बनेरघट्टा कवल, बिलावरदहल्ली, कोन्नाईकाना अग्रहारा, गोलाहल्ली और अनेकल तालुका के एटीबेले होब्ली के गोलाहल्ली, हेबूगोड्डी आंशिक और वीरसांद्रा गांव। बंगलूरू शहरी जिले में बंगलूरू दक्षिण तालुका के बंगलूरू-होसुर रोड के दाएं (पश्चिम) ओर में बेगूरहोब्ली के क्षेत्र।"

(ग) बंगलोर– IV से संबंधित क्र.सं.9 के समक्ष, कॉलम (3) में, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा :-

"बीबीएमपी वार्ड: बीबीएमपी नए वार्ड संख्या 1 से 8 के सभी क्षेत्र।

बीबीएमपी क्षेत्रों से परे :बंगलौर शहरी जिले के बंगलुरू उत्तरी तालुका के येलाहंका और जाला होब्ली क्षेत्र। बंगलुरू ग्रामीण जिले के डोडाबल्लापुर और देवनहल्ली तालुका के सभी क्षेत्र। कर्नाटक राज्य में चित्रदुर्ग, दावनगेरे और हवेरी राजस्व जिले के क्षेत्र। टुंकुर जिले के पावगाड़ा, मदुगिरी और कोराटगिरी तालुका के सभी क्षेत्र, सिरा तालुका के एनएच 4 (पुणे रोड) के दाईं (उत्तर) की ओर के क्षेत्र जिसमें सिरा तालुका के कालमबेला होब्ली के सीबी अग्रहारा, जोड़ीदेवाराहल्ली, कप्पनहल्ली, ब्रह्मसंद्रा, कालेनाहल्ली, वडानाहल्ली गांव शामिल नहीं है।"

(घ) बंगलोर– V से संबंधित क्र.सं.10 के समक्ष, कॉलम (3) में, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, यथा :-

"बीबीएमपी वार्ड : बीबीएमपी नए वार्ड सं. 18 से 34, 46 से 56 और 59 से 63 के सभी क्षेत्र।

बीबीएमपी क्षेत्र से परे : बंगलुरू शहरी जिले के बंगलुरू पूर्व तालुका के सभी क्षेत्र वर्थुहोब्ली को छोड़कर। बंगलुरू ग्रामीण जिले के होसकोट तालुका के सभी क्षेत्र। कर्नाटक राज्य में सम्पूर्ण कोलार और चिकबल्लापुर जिले के सभी क्षेत्र।

(ड.) चेन्नै-II से संबंधित क्र.सं.22 के समक्ष, कॉलम (3) में, संख्या “XIII” के बाद, “और तमिलनाडु राज्य के तिरूवल्लूर जिले के अंबाट्टूर, मदुरावोयल तथा मधावरम तालुक (जो कहीं और शामिल नहीं हैं)” शब्दों और कोष्ठकों को प्रविष्ट किया जाएगा;

(च) कॉलम (3) में ठाणे-1 से संबंधित क्रम सं. 87 के स्थान पर ''भिवंडी तालुका, वाडा तालुका, जवाहर तालुका, मोखादा तालुका'' शब्दों के स्थान पर ''पालाघार जिले का वाडा तालुका, जवाहर तालुका, मुखादा तालुका, भिवंडी तालुका'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे और ''ठाणे जिला का कल्याण तालुका और ठाणे तालुका का ठाणे सिटी'' शब्दों के स्थान पर ''अंबेरनाथ तालुका, कल्याण तालुका, ठाणे जिले के ठाणे तालुका की ठाणे सिटी'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(छ) ठाणे-II से संबंधित क्र.सं.88 के समक्ष, कॉलम (3) में, “ठाणे जिला” शब्द को “पालघाट जिला” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) सारणी IV में, क्र.सं.23 के समक्ष, कॉलम (2) में, “विजयवाड़ा” शब्द को “विशाखापत्तनम” शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा.सं. 96/42/2014 – सीएक्स-1]

(पंकज जैन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी-मूल अधिसूचना सं.27/2014–केन्द्रीय उत्पादशुल्क (गै.टै.), दिनांक 16 सितंबर, 2014 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड -3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि.651(अ), दिनांक 16 सितंबर, 2014 के जरिए प्रकाशित हुई थी और इसमें अंतिम बार संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड -3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. संख्या 730 (अ), दिनांक 15 अक्तूबर, 2014 के जरिए प्रकाशित अधिसूचना सं.31/2014-केन्द्रीय उत्पादशुल्क (गै.टे.), दिनांक 15 अक्तूबर, 2014 के द्वारा किया गया था।